गोमती रिवरफ्रंट: CAG ऑडिट से सार्वजनिक ख़रीद के सबक

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 7 फ़रवरी 2019, CAG रिपोर्ट; पृष्ठभूमि अध्ययन

प्रिलिम्स: CAG ऑडिट, निविदा सूचना (NIT), सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR), अनुच्छेद 151, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II, शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, सार्वजनिक ख़रीद; सामान्य अध्ययन-III, अवसंरचना परियोजनाएँ

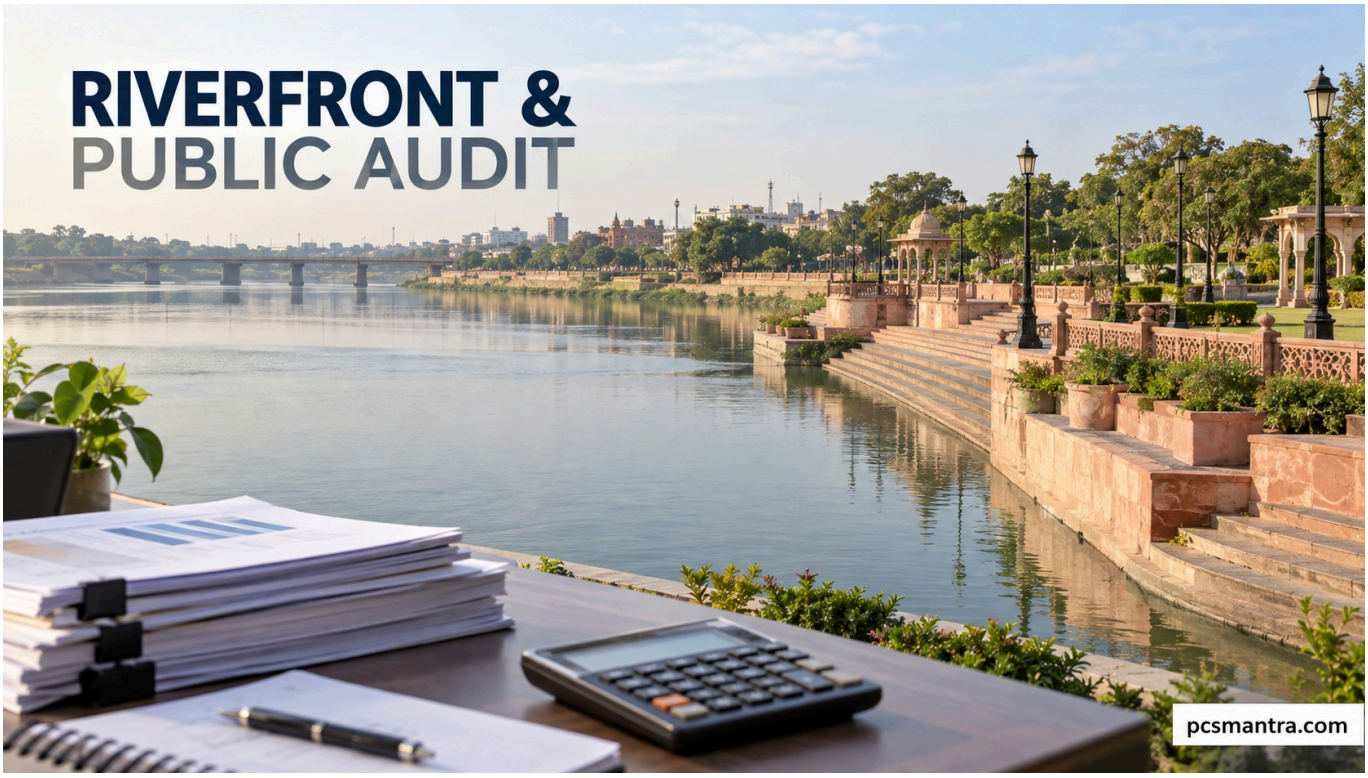

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com।

▼ इस लेख में

1. खबरों में क्यों
2. परियोजना और लागत
3. CAG ने क्या पाया
4. क्या देखा जाए: ख़रीद-प्रक्रिया के मानक
5. संबंधित अवधारणाएँ
6. परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण
7. आगे की राह
8. प्रिलिम्स परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
9. मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
10. स्रोत
11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खबरों में क्यों

गोमती रिवरफ्रंट परियोजना सार्वजनिक ख़रीद और जवाबदेही को समझने का एक केस-स्टडी है। यहाँ मुख्य आधार उत्तर प्रदेश पर CAG की रिपोर्ट संख्या 3, 2018 है, जो 7 फ़रवरी 2019 को विधानमंडल में रखी गई थी। यह पृष्ठभूमि अध्ययन है, 2026 में किसी नई CBI कार्रवाई की पुष्टि नहीं। [1][2]

परियोजना और लागत

> मूल बात समझिए: CAG का अनुपालन ऑडिट (compliance audit) यह जाँचता है कि सरकारी विभाग ने खर्च और ख़रीद में संविधान, कानूनों, नियमों और आदेशों का पालन किया या नहीं। यह अदालत का फ़ैसला नहीं है। CAG सुधार और आगे की जाँच की सिफ़ारिश करता है, दोष का न्यायिक निर्धारण अदालत करती है।

मंज़ूरी और लागत: उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2015 में गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना को **656.58 करोड़ रुपये** की अनुमानित लागत पर मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य लखनऊ में गोमती पर विश्व-स्तरीय रिवरफ्रंट बनाना, पर्यटन बढ़ाना और राजधानी को जल-आपूर्ति में सहायता देना था। जून 2016 में लागत **1,513.52 करोड़ रुपये** कर दी गई और पूर्णता की निर्धारित तिथि मार्च 2017 रखी गई। सितंबर 2017 तक **1,447.84 करोड़ रुपये** खर्च हो चुके थे। [1]

कितनी बढ़ी: संशोधित लागत प्रारंभिक अनुमान से लगभग 857 करोड़ रुपये, यानी करीब 130 प्रतिशत, अधिक थी। खर्च संशोधित लागत का लगभग 96 प्रतिशत हो चुका था (यह गणना ऊपर के आँकड़ों से की गई है)।

परियोजना के घटक: नदी-तल की सफ़ाई; नदी के दोनों ओर डायफ्राम वॉल (मिट्टी को रोकने वाली दीवार) बनाकर नदी का चैनलीकरण; सीवर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने वाला इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन (भूमिगत पाइपलाइन); रबर डैम (हवा या पानी से फुलाए जाने वाले रबर-कपड़े का बाँध, जो प्रवाह के ऊपरी स्तर को बढ़ाता है); और सौंदर्यीकरण। [1]

CAG ने क्या पाया

1. निविदा-प्रकाशन के साक्ष्य: 1992 के निर्देशों के अनुसार सरकारी विज्ञापन सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) के माध्यम से ही छपने चाहिए। CAG ने पाया कि कार्यकारी अभियंता की फ़ाइलों में 24 निविदा सूचनाओं (NIT), जिनका मूल्य **1,188.74 करोड़ रुपये** दर्ज था, के प्रकाशन के लिए DIPR को भेजे गए पत्रों की प्रतियाँ और प्रकाशन की पुष्टि करने वाले जवाब थे। DIPR से मिलान पर **525.77 करोड़ रुपये** की एक NIT (डायफ्राम वॉल) को छोड़कर शेष **662.58 करोड़ रुपये** की NIT DIPR द्वारा छपी ही नहीं थीं। जो विज्ञापन उन आदेश-संख्याओं पर छपे थे, वे अन्य विभागों के अलग विषयों के थे। CAG ने इसे साक्ष्य गढ़े जाने का मामला बताया और सतर्कता-जाँच तथा आपराधिक अभियोजन की दृष्टि से परीक्षण की सिफ़ारिश की। (CAG के आँकड़े जैसे दिए गए हैं वैसे उद्धृत हैं।) [1]

2. डायफ्राम वॉल का ठेका (516.73 करोड़ रुपये): फ़रवरी 2015 की NIT के बाद मार्च 2015 में पात्रता-शर्तें घटाई गईं। मूल शर्त में किसी एक वर्ष में 20 लाख घन मीटर मिट्टी-कार्य की अपेक्षा थी, जिसे हटा दिया गया, और कंक्रीट कार्य की सीमा 1,50,000 से घटाकर 75,000 घन मीटर कर दी गई। CAG के अनुसार यह वित्त विभाग के 2001 के निर्देश और CVC के 2002 के दिशानिर्देशों के विरुद्ध था, और संशोधन अखबारों में नहीं छपा। चयनित फ़र्म के पास केवल 19 लाख घन मीटर का अनुभव था, यानी वह मूल शर्त पर पात्र नहीं थी, और CAG के अनुसार घटी हुई शर्तों पर भी हाइड्रोलिक संरचनाओं का अपेक्षित अनुभव उसके पास नहीं था। विभाग ने स्वीकार किया कि शर्तों में छूट और उसके प्रकाशन के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। [1]

3. इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का ठेका (285.70 करोड़ रुपये): कोई तकनीकी मूल्यांकन-रिपोर्ट नहीं बनी। न्यूनतम वार्षिक कारोबार की शर्त 345 करोड़ रुपये (अनुमानित लागत 230 करोड़ का 1.5 गुना) थी, जबकि चयनित फ़र्म का अधिकतम कारोबार 152.53 करोड़ रुपये था और उसने ज़िलाधिकारी से वित्तीय-सक्षमता प्रमाणपत्र भी नहीं दिए। दूसरी ओर, शर्त पूरी करने वाली एक फ़र्म की बोली इस आधार पर खारिज की गई कि उसने अग्रिम धरोहर राशि (EMD) जमा नहीं की, जबकि CAG के अनुसार उसने NIT के निर्देशानुसार वित्तीय बोली के साथ जमा की थी। [1]

4. रबर डैम का ठेका (60.27 करोड़ रुपये, जनवरी 2016): NIT किसी अखबार में नहीं छपी और उसमें पूर्व-अनुभव जैसी पूर्व-अर्हता शर्तें नहीं थीं, जिसे विभाग ने स्वीकार किया। अनुबंध के अनुसार विभाग को 31 करोड़ रुपये मूल्य की रबर-झिल्ली वैश्विक निविदा से आयात करके देनी थी, पर ठेकेदार को 18.84 करोड़ रुपये (सीमा-शुल्क सहित) में स्वयं आयात करने दिया गया और विभाग ने उसे 29.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया। CAG के अनुसार इससे फ़र्म को 10.40 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ। [1]

5. अभिलेख न देना: कार्यकारी अभियंता ने ऑडिट के माँगे 26 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और परियोजना से जुड़े 230 ऑडिट-मेमो का उत्तर भी नहीं दिया। CAG ने यह भी कहा कि ये निष्कर्ष सीमित नमूना-जाँच पर आधारित हैं और सरकार को परियोजना से जुड़े सभी ठेकों की समीक्षा करनी चाहिए। [1]

क्या देखा जाए: ख़रीद-प्रक्रिया के मानक

मानक	अपेक्षा	CAG ने क्या कहा
खुली निविदा और प्रचार	NIT का DIPR के माध्यम से प्रकाशन	24 में से एक को छोड़कर शेष का प्रकाशन नहीं पाया गया
पात्रता-शर्तों में स्थिरता	NIT के बाद शर्तें न बदलना, बदलाव हो तो सबको सूचना	डायफ्राम वॉल में शर्तें घटाईं और प्रकाशित नहीं की गईं
तकनीकी मूल्यांकन	समिति द्वारा लिखित मूल्यांकन	ट्रंक ड्रेन में तकनीकी मूल्यांकन-रिपोर्ट नहीं मिली
पात्र बोलीदाता का निष्पक्ष विचार	शर्तें पूरी करने वाली बोली का मूल्यांकन	शर्त पूरी करने वाली एक बोली EMD के आधार पर खारिज, जिसे CAG ने गलत बताया
अभिलेख और उत्तरदायित्व	ऑडिट को अभिलेख और उत्तर देना	26 अभिलेख और 230 ऑडिट-मेमो के उत्तर नहीं दिए गए

संबंधित अवधारणाएँ

निविदा सूचना (NIT) और शुद्धि-पत्र (corrigendum): NIT में काम, शर्तें और अंतिम तिथि बताई जाती है। शुद्धि-पत्र उसमें बाद में किया गया संशोधन है, जिसे सभी संभावित बोलीदाताओं तक पहुँचाना होता है।

अग्रिम धरोहर राशि (EMD): बोलीदाता द्वारा बोली के साथ जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि, जो बोली की गंभीरता सुनिश्चित करती है।

पूर्व-अर्हता (pre-qualification) शर्तें: बोली लगाने से पहले बोलीदाता से अपेक्षित अनुभव, कारोबार और क्षमता की न्यूनतम शर्तें।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): सार्वजनिक ख़रीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता के दिशानिर्देश जारी करने वाली सर्वोच्च सतर्कता संस्था। रिपोर्ट ने इन्हें संविधान के **अनुच्छेद 14** में निहित समानता के अधिकार से जोड़ा है।

CAG रिपोर्ट की प्रक्रिया: यह रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई थी, जो **अनुच्छेद 151** के अंतर्गत है। राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। इस रिपोर्ट को 12 नवंबर 2018 को सरकार को भेजा गया और 7 फ़रवरी 2019 को सदन में रखा गया।

जाँच का संदर्भ: पूरे प्रेस अभिलेखों के अनुसार पहला CBI मामला नवंबर 2017 में दर्ज हुआ था। जुलाई 2021 में एक अन्य मामले में कई स्थानों पर तलाशी हुई। ये कथित अनियमितताओं की जाँच के अभिलेख हैं, दोषसिद्धि नहीं; इनके न्यायिक निष्कर्ष इस लेख का विषय नहीं हैं। [3][4]

परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण

प्रक्रिया ही सुरक्षा है: इन निष्कर्षों में बार-बार वही बिंदु दिखता है: खुली और प्रचारित निविदा, स्थिर पात्रता-शर्तें, लिखित मूल्यांकन और समान व्यवहार। इनमें से किसी भी कड़ी के टूटने पर प्रतिस्पर्धा घटती है।

लागत-वृद्धि और जवाबदेही: अनुमान से 130 प्रतिशत की वृद्धि अपने आप में गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है, पर इससे यह प्रश्न उठता है कि मूल अनुमान कितना यथार्थवादी था और संशोधन की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी।

ऑडिट के बाद की कार्रवाई: रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने अंतरिम उत्तर (फ़रवरी 2018) के बाद अगस्त 2018 तक कोई विस्तृत उत्तर नहीं दिया था। ऑडिट-निष्कर्षों का असर इस पर निर्भर करता है कि लोक लेखा समिति और सरकार उन पर कितनी तेज़ी से अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

सावधानी: CAG के निष्कर्ष और अदालत का निर्णय अलग चीज़ें हैं। CBI की जाँच या कार्रवाई की किसी रिपोर्ट को पूरी हो चुकी कार्रवाई की तरह न लिखें।

आगे की राह

सार्वजनिक ख़रीद में ई-निविदा और NIT तथा शुद्धि-पत्रों का सार्वजनिक पोर्टल पर स्वतः प्रकाशन मानव-हस्तक्षेप घटा सकता है। तकनीकी मूल्यांकन और बोली-अस्वीकृति के कारणों का लिखित और सार्वजनिक अभिलेख, ऑडिट-आपत्तियों का समयबद्ध उत्तर और लोक लेखा समिति द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई जवाबदेही को मज़बूत करेंगे। बड़ी परियोजनाओं में लागत-संशोधन के लिए स्वतंत्र समीक्षा भी उपयोगी होगी।

प्रिलिम्स परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना पर CAG की रिपोर्ट (उत्तर प्रदेश, रिपोर्ट संख्या 3, 2018) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: रिपोर्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष से संबंधित है।

कथन 2: परियोजना की मूल अनुमानित लागत 656.58 करोड़ रुपये थी, जिसे जून 2016 में संशोधित कर 1,513.52 करोड़ रुपये किया गया।

कथन 3: CAG ने पाया कि सभी 24 निविदा सूचनाएँ DIPR के माध्यम से समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d)

कथन 1 सही है, रिपोर्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की है। कथन 2 सही है, मार्च 2015 में स्वीकृत अनुमानित लागत 656.58 करोड़ रुपये थी और जून 2016 में संशोधित लागत 1,513.52 करोड़ रुपये हुई। कथन 3 गलत है, CAG के अनुसार एक NIT को छोड़कर शेष DIPR द्वारा प्रकाशित ही नहीं की गई थीं।

प्रश्न 2. भारत में राज्य से संबंधित CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है?

(a) राष्ट्रपति

(b) राज्यपाल

(c) मुख्यमंत्री

(d) विधानसभा अध्यक्ष

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

अनुच्छेद 151 के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित CAG के प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। गोमती रिवरफ्रंट वाली रिपोर्ट भी राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई थी।

मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "सार्वजनिक ख़रीद में पारदर्शिता केवल नियमों का नहीं, प्रक्रिया की अखंडता का प्रश्न है।" गोमती रिवरफ्रंट परियोजना पर CAG के निष्कर्षों के आलोक में विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: परियोजना का परिचय (मूल और संशोधित लागत) और CAG रिपोर्ट का संदर्भ; ऑडिट-निष्कर्ष और अदालती निर्णय के अंतर का उल्लेख।

मुख्य भाग में: मुख्य निष्कर्ष: NIT के प्रकाशन का अभाव, निविदा के बाद पात्रता-शर्तों में छूट, तकनीकी मूल्यांकन का अभाव, पात्र बोलीदाता की अस्वीकृति, रबर-झिल्ली आयात में अनुचित लाभ और अभिलेखों का न दिया जाना; इनसे प्रतिस्पर्धा, समानता (अनुच्छेद 14) और सार्वजनिक धन पर असर; सुधार: ई-निविदा, सार्वजनिक अभिलेख, समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष: सुदृढ़ प्रक्रिया ही सार्वजनिक धन और भरोसे की सुरक्षा करती है, और ऑडिट-निष्कर्षों पर समय पर कार्रवाई उसका अनिवार्य हिस्सा है।

स्रोत

- [1] https://d1jmc0u14z2tmp.cloudfront.net/uploads/download_audit_report/2018/Chapter_2_Compliance_Audits_of_Report_No_3_of_2018_General_and_Social_Sector_Government_of_Uttar_Pradesh.pdf
- [2] https://cag.gov.in/en/audit-report/details/49975
- [3] https://www.hindustantimes.com/lucknow/cbi-takes-up-lucknow-s-gomti-river-front-case-fir-against-8-engineers/story-Lj12JB4fWwtHOs9Co2QBcP.html
- [4] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/cbi-registers-fresh-case-in-gomti-river-front-project-irregularities-searches-at-over-40-locations/article35142515.ece

रिपोर्ट के अध्याय 2, खंड 2.1 (पृष्ठ 5 से 9) के निष्कर्ष। CBI से संबंधित संदर्भ प्रेस रिपोर्टों पर आधारित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ गोमती रिवरफ्रंट परियोजना की लागत कितनी थी?

मार्च 2015 में अनुमानित लागत 656.58 करोड़ रुपये थी, जून 2016 में यह 1,513.52 करोड़ रुपये हुई और सितंबर 2017 तक 1,447.84 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे (CAG रिपोर्ट के अनुसार)।

▼ CAG ने निविदा-प्रकाशन के बारे में क्या पाया?

24 NIT में से 525.77 करोड़ रुपये की एक को छोड़कर शेष, जिनका मूल्य 662.58 करोड़ रुपये बताया गया है, DIPR द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थीं, जबकि फ़ाइलों में प्रकाशन के पत्र थे।

▼ क्या यह CBI की किसी नई कार्रवाई का परिणाम है?

नहीं। ये 2019 में विधानमंडल में रखी गई CAG रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं; यह लेख किसी नई CBI कार्रवाई की पुष्टि नहीं करता।

▼ CAG रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों प्रस्तुत होती है?

अनुच्छेद 151 के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित CAG के प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।